

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक क्लर्क एवं S.O. मुकाम वायत

चेताराम

बनाम

ठाकराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. प्राविप्त 111, 128 नं. 173 सन् 2019
RLR ACT

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7.6.19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>चेताराम जाखड</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR ACT</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26/6/19</u> को पेश हो।</p>	
26/6/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथीगणों के नोटिस तामिल सुनाना प्रारंभ जिसे शामिल पत्रावली पेश गया। विप्राथीगण वाकबुद तामिल अनुपस्थित। व्यापारालय समय तीन बजे कावाज लगाई गई। कॉन्सिल कावाज 5.45 pm पर लगाई गई। विप्राथी- गण स्वयं या उनकी फौर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एड- तरफा कार्यवाही कमल से लाई जाली हो कल: वास्ते बयान पत्रावली दिनांक 17/7/19 को पेश की।</p>	
17/7/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथीगण अनुपस्थित। सुनान पीठाधीन अधिवक्ता डिग्न प्रार्थी से पत्रावली होने से मित्राल इलवाक टोहर कागामी दिनांक 13/8/19 को पेश की।</p>	
13/8/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथीगण अनुपस्थित। सुनान पीठाधीन अधिवक्ता डिग्न प्रार्थी से पत्रावली होने से मित्राल इलवाक टोहर कागामी दिनांक 06/11/19 को पेश की।</p>	

6/11/19

प्राथी वकिल उपस्थित / विप्राथीगण
 अनुपस्थित / प्राथी के अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय
 बहस सुनी गई प्राथी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन
 किया गया कि प्राथी व विप्राथीगणों के खेतों पर जो
 खेत सेठ सेठ आये हुए हैं प्राथी व विप्राथीगणों के
 सेठों पर जो पुरानी माठे व कणे आए हुए थे जो
 वर्तमान में आन्दियों की बूझ से बिखर गये हैं।
 जिससे प्राथी व विप्राथीगणों के खेतों का सही
 ज्ञान नहीं हो रहा है। वर्तमान की आवक होने पर
 विप्राथीगण प्राथी के खेतों को तोड़कर प्राथी के
 खातेदारी खेत में खेती कर लेते हैं। जिससे
 प्राथी व विप्राथीगणों के बीच में तनाव बना
 रहता है। इस कारण प्राथी को अपने खातेदारी
 खेत की पक्की नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है।
 इसलिए प्राथी द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी आवेदन को
 स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी का नेखमबन्दी आवे-
 दन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार वास्तु को
 कमिशनर व सम्बन्धित भू. अभिलेख निरीक्षक को
 सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश
 दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमि-
 शनर से प्राथी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखम
 बन्दी माँके पर कमिशनर शुल्क रूपये 500/- जमा-
 कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
 पत्रावली हो। पत्रावली के सल शूमार होकर दर्ज नाम
 से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

(Handwritten Signature)
 सहायक कमिशनर (SPO)
 बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 062

दिनांक:- 6/11/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चेतनराम पुत्र आदूराम वगैरा जाति जाट
निवासी धोलानाड़ा बोड़वा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. ठाकराराम पुत्र उमाराम वगैरा जाति जाट
निवासी धोलानाड़ा बोड़वा
तहसील बायतु(बाड़मेर)


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 173/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धोलानाड़ा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 165/93 रकबा 16.02 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिभूत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।



क्रमांक/वाद/2019/ 063-67

दिनांक:- 6/11/19
सहायक कमीशनर (SDO)
बायतु

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री चेतनराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री ठाकराराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

दिनांक:- 6/11/19
सहायक कमीशनर (SDO)
बायतु

